भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 996

08 दिसम्बर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष औषधालयों का उन्नयन

996. डॉ. रमापति राम त्रिपाठी:
श्री सी.आर. पाटिल:
श्री पी.पी. चौधरी:
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और ओडिशा सहित देश में आयुष औषधालयों के उन्नयन हेतु प्रदान की गई निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उत्तर प्रदेश सहित देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार उन्नत किए गए आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या देवरिया संसदीय क्षेत्र में कोई केन्द्र कार्यरत है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में विश्वास विकसित करने के लिए ऐसे केन्द्रों/ औषधालयों को प्रोत्साहित करने के लिए की गई/प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत, मौजूदा सरकारी/पंचायती/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों के उन्नयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता का प्रावधान है। तदनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार, राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। एसएएपी के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सहित देश में आयुष औषधालयों के उन्नयन के लिए प्रदान की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **संलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख) से (ङ): आयुष मंत्रालय आयुष सिद्धांतों और प्रथाओं के आधार पर एक समग्र वेलनेस मॉडल स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के एक घटक के रूप में आयुष्मान भारत के तहत, आयुष स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों (एएचडब्ल्यूसी) के संचालन को कार्यान्वित कर रहा है। एनएएम के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, मौजूदा आयुष औषधालयों और उप-स्वास्थ्य केंद्रों की 12,500 इकाइयों को एएचडब्ल्यूसी के रूप में उन्नत करने के लिए अनुमोदित किया गया है और उत्तर प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रिपोर्ट के अनुसार 8,168 एएचडब्ल्यूसी को कार्यशील कर दिया गया है। अनुमोदित और

कार्यशील आयुष स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र इकाइयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **संलग्नक-II** पर दी गई है। इसके अलावा, मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 15 औषधालयों को एएचडब्ल्यूसी के रूप में उन्नत करने की मंजूरी दी है, जिनमें से 08 एएचडब्ल्यूसी को कार्यशील कर दिया गया है।

*****

संलग्नक-I

आयुष औषधालयों के उन्नयन के लिए प्रदान की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम**	**इकाइयों की संख्या**	**स्वीकृत धनराशि**
1	अंदमान एवं निकोबार द्वीप	0	0.00
2	आंध्र प्रदेश	23	130.00
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00
4	असम	0	0.00
5	बिहार	10	100.00
6	चंडीगढ़	45	300.63
7	छत्तीसगढ़	367	4234.06
8	दादरा और नागर हवेली व दमन और दीव	1	8.00
9	लद्दाख	0	0.00
10	दिल्ली	0	0.00
11	गोवा	0	0.00
12	**गुजरात**	**53**	**895.00**
13	हरियाणा	1136	1404.90
14	हिमाचल प्रदेश	1334	602.90
15	जम्मू-कश्मीर	35	350.00
16	झारखंड	0	0.00
17	कर्नाटक	0	0.00
18	केरल	39	689.30
19	लक्षद्वीप	8	28.00
20	मध्य प्रदेश	140	2800.00
21	महाराष्ट्र	0	0.00
22	मणिपुर	2	35.00
23	मिजोरम	0	0.00
24	मेघालय	3	120.00
25	नागालैंड	4	80.00
26	**ओडिशा**	**56**	**1120.00**
27	पुडुचेरी	7	7.00
28	पंजाब	10	61.74
29	**राजस्थान**	**868**	**7252.69**
30	सिक्किम	0	0.00
31	तमिलनाडु	0	0.00
32	तेलंगाना	57	615.00
33	त्रिपुरा	8	160.00
34	**उत्तर प्रदेश**	**552**	**10967.974**
35	उत्तराखंड	0	0.00
36	पश्चिमी बंगाल	284	1623.00
	कुल	**5062**	**33965.19**

संलग्नक-II

कार्यशील आयुष एचडब्ल्यूसी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	स्वीकृत आयुष एचडब्ल्यूसी	कार्यशील आयुष एचडब्ल्यूसी
1	आंध्र प्रदेश	203	126
2	अरुणाचल प्रदेश	89	49
3	असम	489	289
4	बिहार	388	113
5	छत्तीसगढ़	400	400
6	गोवा	74	72
7	गुजरात	365	283
8	हरियाणा	569	372
9	हिमाचल प्रदेश	740	303
10	झारखंड	745	560
11	कर्नाटक	376	376
12	केरल	520	357
13	मध्य प्रदेश	762	562
14	महाराष्ट्र	390	281
15	मणिपुर	67	15
16	मेघालय	45	22
17	मिजोरम	38	38
18	नगालैंड	49	47
19	ओडिशा	422	250
20	पंजाब	217	0
21	राजस्थान	2019	919
22	सिक्किम	18	18
23	तमिलनाडु	650	250
24	तेलंगाना	421	421
25	त्रिपुरा	84	38
26	**उत्तर प्रदेश**	**1034**	**756**
27	उत्तराखंड	300	267
28	पश्चिमी बंगाल	540	520
29	अंदमान और निकोबार द्वीप	6	6
30	चंडीगढ़	12	5
31	दिल्ली	0	0
32	दादरा और नागर हवेली व दमण और दीव	1	0
33	जम्मू-कश्मीर	456	442
34	लद्दाख	0	0
35	लक्षद्वीप	7	7
36	पुडुचेरी	4	4
कुल		**12500**	**8168**